By: Akhilesh Kumar (GT Assist professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU -B.com part – 1 Hons paper -1 Financial Accounting

Unit- iv Consignment

Easy to Understand the concept

By: Akhilesh Kumar (GT Assist professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

प्रश्न 4. निम्न का अर्थ स्पष्ट करें :

(i) लाभांश समकरण निधि

(ii) निवेश उतार-चढ़ाव निधि

(iii) कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि ।

i. उत्तर- लाभांश समकरण निधि (Dividend Equalization Fund)-यह निधि बुरे वर्षों के लिए प्रावधान के रूप में अच्छे वर्षों में हुए लाभ का एक अंश अलग रखकर बनाई जाती है, ताकि जब पर्याप्त लाभ उपलब्ध न हो तब भी कंपनी सामान्य लाभांश की घोषणा कर सके । इस निधि की रकम को बाहय प्रतिभूतियों में निवेशित करना आवश्यक नहीं होता।

ii. निवेश उतार-चढ़ाव निधि (Investment Fluctuation Fund)-यह निधि कंपनी द्वारा बाहय प्रतिभूतियों में किए गये निवेशों के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाली हानि के प्रावधान के लिए किया गया संचय होता है । यह प्रावधान साधरणतया बैंक अथवा बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है ।

iii. कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि (Workman's Compensation Fund)-कर्मचारी, क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों

को कारखाने में होने वाली दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ रकम प्राप्त करने का अधिकार होता है । इसलिए कंपनियाँ प्रतिवर्ष अपने लाभ का एक भाग अलग रखती है तथा इस उद्देश्य के लिए वे एक विशेष निधि बनाती है ताकि इस प्रकार की हानि की सारी रकम उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में न डाली जाए जिस वर्ष ऐसी हानि हुई हो । ऐसी निधि 'कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि' कहलाती है । क्षतिपूर्ति की रकम इस निधि में डेबिट कर दी जाती है।

(शब्दावली)

I. संचय (Reserve)-लाभों तथा आधिक्यों की वह रकम जिसे किन्हीं अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए अथवा व्यवसाय के विस्तार के लिए वित्त की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अलग रखा जाता है ।

II. आयगत संचय (Revenue Reserve)-सामान्य व्यावसायिक लाभों में से किए गये संचय ।

III. पूँजीगत संचय (Capital Reserve)-पूंजीगत लाम में से किए गए संचय ।

IV. ज्ञात संचय (Open Reserve)-ऐसे संचय जिन्हें वित्तीय विवरणों में स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है ।

V. अज्ञात (गुप्त) संचय (Secret Reserve)-ऐसे संचय जिन्हें वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया जाता।

VI. प्रावधान (Provision)-किसी व्यवसाय की चालू आय की वह रकम जिसे मूल्यहास, मरम्मत एवं नवीकरण के लिए अथवा किसी ऐसे ज्ञात दायित्व के लिए अलग रखा जाता है जिसकी रकम अनिश्चित होती है ।

VII. संचय कोष (Reserve Fund)-संचय का वह भाग जिसे व्यवसाय के बाहर निवेशित किया गया हो ।

VIII. शोधन कोष (Sinking Fund)-चालू आय में से बनाई गई वह निधि जो किसी दीर्घकालिक देयता के भुगतान के लिए अथवा किसी परिसम्पत्ति के प्रतिस्थापन के लिए बनाई गई हो।